राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 23(2)खा.वि./भण्डार/2008–II लूज जयपुर, दिनांक : 18.12.2018

खुली निविदा सूचना

विभाग में वित्तीय वर्ष, 2018–19 के लिए दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 तक 08 कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) की आवश्यकता है। अतः वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु इच्छुक फर्म/व्यक्तियों से दरें सीलबन्द लिफाफे में इस विभाग को दिनांक 27.12.2018 को मध्यान्ह पश्चात् 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की अनुमानित लागत 2,50,000/– रूपये है। निविदा प्रपत्र कार्यालय में दिनांक 18.12.2018 से 27.12.2018 को मध्यान्ह पश्चात् 02:00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि रूपये 5,000/– नगद/डी.डी./बैंकर चैक के साथ निर्धारित समय पर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उक्त कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (खाद्य भवन), शासन सचिवालय, जयपुर स्थित मुख्यालय पर उपलब्ध कराने होंगे। निविदा की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में विभाग में उपस्थित होकर विभागीय पोर्टल एवं एस.पी.पी. पोर्टल पर देखी जा सकती है।

कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) 03 माह तक किराये पर लिये जाने हैं। कम्प्यूटर (मशीन विद् मैन) की सेवायें सन्तोषजनक होने पर उक्त अवधि बढ़ाई जा सकती है।

Sd/–
(प्रगति आसोपा)
सहायक आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 वरिष्ठ निजी सहायक, उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सहायक, उपायुक्त (द्वितीय), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 निजी सहायक, सहायक आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 श्री रविन्द्र जैन, विभागीय प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि खुली निविदा सूचना को राज्य लोक उपापन पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8 लेखा शाखा (भुगतान)।
9 नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
10 रक्षा पत्रिका।

सहायक आयुक्त (खाद्य)

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. आठ कम्प्यूटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटरों के लिए निविदा प्रपत्र वित्तीय वर्ष, 2018–19 हेतु यह संख्या अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम (मय डाक पता एवं टेलीफोन नम्बर) .....
   .....
   .....
   ई–मेल आई.डी. .....
3. नाम कार्यालय – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संदर्भ – किराये पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु अनुबंध।
5. निविदा शुल्क – राशि रूपये 200/– नगद रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या/चैक/डी.डी. संख्या ..... के द्वारा जमा की गई।
6. मेरे/हम ..... द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तें तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त समस्त शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
7. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर अनुबंध की दरों में निम्न विवरणानुसार कॉन्फीगरेशन (Configuration) अनिवार्य होगा :–

क्र.सं.	अनिवार्य कॉन्फीगरेशन(Configuration)	दर प्रति माह (मय सर्विस टेक्स/जीएसटी यदि लागू हो तो) (प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर)
A	**Computer** - Intel Core i3/Equivalent AMD bassed computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.	
B	**Printer** - Black and White Laser Printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix/Inkjet Printer may be taken in lieu of Laser Printer.	
C	**UPS** - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.	

नोट :– निर्धारित दरों के अध्ययधीन उपरोक्त वर्णित से अधिक कॉन्फीगरेशन (Configuration) देने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

8. फर्म को आदेश देने पर निर्धारित अवधि के भीतर किराये पर उक्त कॉन्फीगरेशन के कम्प्यूटर मय ट्रेण्ड ऑपरेटर एवं मशीन के सपुर्दगी कर दी जावेगी।
9. उपरोक्त उद्दृत की गई दरें दिनांक 31.03.2019 तक के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
10. बैंकर्स चैक/डी.डी. नम्बर ..... दिनांक ..... से राशि रूपये ...../– बतौर अमानत राशि (अर्नेस्ट) संलग्न की जावेगी, जो "सहायक आयुक्त (खाद्य), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर" के पक्ष में देय हो।
11. उल्लेखित कॉन्फीगरेशन (Configuration) के अनुसार 08 कम्प्यूटर्स के अटैचमेन्ट प्रथक–प्रथक उपलब्ध करवाया जावेगा। उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर्स के कॉन्फीगरेशन (Configuration) की जांच आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के कम्प्यूटर विभाग के सक्षम अधिकारी से कराई जा सकती है।
12. मैंने/हमारे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का पूर्णतया अवलोकन कर लिया है। मैं इनसे पूर्णतया सहमत हूँ तथा इन्हें मानने के लिये बाध्य रहूंगा/रहेंगे।

संलग्न :– निविदा की शर्ते।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(मय मोहर)

निविदा की शर्तें

वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र संख्या 8/2008 कमांक प. 9(1)वित्त–1(1)आ. व्यय/2004 दिनांक 28.07.2008 के बिन्दु संख्या 3 एवं परिपत्र संख्या F. 9(1)FD/Bud/2012 दिनांक 01.05.2014 एवं 01.07.2015 तथा एफ. 2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 03/2018 दिनांक 11.07.2018 एवं एफ. 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के संदर्भ में।

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 500 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :–

1. अनुबंध दिनांक 01.01.2019 से 31.03.2019 (03 माह) तक की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
2. स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर के सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। यदि सिस्टम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाया जायेगा तो उसे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप कराया जायेगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बन्द होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
4. निविदाकार को दिन–प्रतिदिन कार्यालय समय एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय समय पश्चात् कम्प्यूटर सेवायें उपलब्ध करानी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नये टोनर/नये रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा इनका व्यय वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में राजपत्रित अवकाशों के अलावा कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार अवकाशों में भी बुलाया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजिरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 369/– रूपये तथा 8 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से देर से आने पर प्रति घण्टा 46 रूपये की कटौती की जावेगी।
6. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदादाता प्रतिदिन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कम्प्यूटर्स एवं अन्य उपकरण कार्य कर रहे हैं तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। खराब कम्प्यूटर/उपकरण की मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
7. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो 15 दिवस का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी तथा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। उपकरण की सुरक्षा के लिए निविदादाता विभाग की सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करना सुनिश्चित कर सकता है। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

9. कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी./ऑनलाइन से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर को समय पर प्रचलित विधि/कानून के अनुसार भुगतान करने का पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इस विषय में विभाग आवश्यकतानुसार भुगतान संबंधी सूचनायें निविदादाता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आयकर एवं सेवाकर प्रचलित नियमों के अन्तर्गत देय/वसूल योग्य होंगे। विभाग से भुगतान प्राप्त करने हेतु आयकर पंजियन प्रमाण पत्र (PAN), सर्विस चार्जेज पंजियन प्रमाण पत्र एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार के पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।
12. निविदा देने के इच्छुक अभ्यार्थी/फर्म प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग द्वारा जारी परिपत्र एफ. 9(1)वित्त–11(1)बजट/2004 दिनांक 28.07.2008 में उल्लेखित बिन्दुवार स्पेसिफिकेशन/आवेदन पत्र में कम्प्यूटर में मय ऑपरेटर का बायोडाटा अनुभव एवं योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र मान्य/स्वीकार होगा। ऑपरेटर्स की दक्षता परीक्षा विभाग द्वारा ली जा सकती है तथा उपयुक्त नहीं पाये जाने पर संबंधित ऑपरेटर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। ऑपरेटर का कार्यालय में आचार व्यवहार समुचित व संतुलित होना चाहिये अन्यथा उसे बिना कोई अवसर दिये हटाया जाना अपेक्षित होगा।
13. किसी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा, जो सभी को मान्य होगा।
14. अधिकृत निविदादाता को अनुबंध के साथ पांच प्रतिशत धरोहर राशि के जमा कराने होंगे।
15. फर्म द्वारा प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध कराने होंगे तथा उन्हें विभाग की अनुमति के बिना नहीं बदला जायेगा। ऑपरेटर कम्प्यूटर की सभी विधाओं जैसे – Words, Excel, Power Point, E-Mail, Mangal Fonts etc. की जानकारी होना अनिवार्य है।
16. ऑपरेटर को अन्यत्र जाने से पूर्व प्रत्येक फाइल का बैकअप संबंधित कार्मिक को सॉफ्ट क़ॉपी में उपलब्ध कराना होगा।
17. अनुबंध समाप्ति पर कम्प्यूटर मे फीड (Store Datas) की सी.डी. कार्यालय में जमा करानी होगी।
18. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
19. सेवा प्रदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (सब लेट) पर नहीं देगा।
20. निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है वह कार्यादेश की तारीख से 05 दिन की अवधि के भीतर कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय ऑपरेटर स्थापित करने की व्यवस्था करेगा।
21. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा संतोषजनक कार्य सम्पन्न करने एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के पश्चात सेवा प्रादाता को बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
22. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :–

    अ. जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

ब. जब निनिदादाता संपूर्ण संतोषजनक ढंग से कार्य करने में असफल रहा हो।

स. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामेले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में द्वितीय पक्ष (क्रेता अधिकारी) का निर्णय अंतिम होगा।

23. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे।

24. उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधान की उपापन प्रकिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ–साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा :–

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :–

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर मैन विद मशीन	उच्च कुशल	7358	08		13%	4.75%			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी :–

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		उच्च कुशल–						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1–4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रतिष्टियां की जा सकेगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदुरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित आवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। तदनुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xix) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

25. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र एफ. 2/एफ.डी.(1)एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 03/2018 दिनांक 11.07.2018 एवं एफ. 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत संवेदक द्वारा समस्त शर्तों की सफलता पूर्वक पूर्णता के उपरान्त ही संवेदक उक्त निविदा प्रकिया में मान्य होगा। उलंघन करने की स्थिति पर संवेदक की बोली निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग में निहित रहेगा।

निविदादाता

सहायक आयुक्त (खाद्य)